33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP Crll

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

मुकदमा धीरेन्द्र सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नं० 43 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/24	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कि भूमि खाता सं० नया 31 पुराना 31 के खसरा नं. 246 लगायत 258, 258/403, 258/404, 259 लगायत 262, 292 लगायत 296, 399, 348 कुल किता-26 कुल रकबा 8.77 हैक्ट० वाके ग्राम मठानाडी तह. बांदीकुई में स्थित है। जिसका पक्षकारान के मध्य आज दिन तक विधिवत रूप से खरस नरस तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकारान अपनी अपनी मन समाई से अपने अपने हिस्से की भूमि बांटकर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण के मन में बदनियति आ गयी है और वे भूमि मुतनाजिया का बिना विधिवत खरस-नरस तकासमा कराये भूमि-मुतनाजिया में स्थायी पुख्ता निर्माण करने व भूमि मुतनाजिया को किसी भी दीगर शख्स को रहन बय व हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहे हैं। जिन्हें पाबन्द किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील को सुना। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया-प्राईमा फेसाई केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अत: अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम	

[signature]

अ 33 4-2000 10 लाख फा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP Crll

कलेक्टर

अदालत धीरेन्द्र सिंह मुकाम

मुकदमा दावा तकासमा T-I बनाम नरेन्द्र सिंह बांदीकुई

नं० 23 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा [illegible] विपक्ष/P.O. रा० राज्य कार्य में [illegible] होने से जनरल तारीख पेशी हो गई [illegible] आदेश की पालना में दिनांक 20/12/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
20/12/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 10/01/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
10/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० हमने वकील उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में दिनांक 20/12/24 को की गयी बहस पर मनन किया। प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। मूल प्रकरण दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। मूल प्रकरण के विधिवत निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं वादग्रस्त भूमि को रहन-बय नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी २५६	

निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 02.4/24 को ताबे मूल प्रकरण/वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील हमरिश्ता मूल वाद रहे।

उप खण्ड अधिकारी

[illegible]